



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238277
CG-DL-E-23082022-238277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]
No. 574]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3ख के उप नियम (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु यह और कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ निम्नलिखित कर्मचारिवृंद, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के स्थापन से उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किए जाएंगे:-
(क) चालक (उच्चतम न्यायालय में चालक के स्तर के समतुल्य)
(ख) सचिवालयिक सहायक (उच्चतम न्यायालय में शाखा अधिकारी के स्तर के समतुल्य)।”।
- उक्त नियमों के नियम 3ख के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3ग. सुरक्षा कवच.— भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 24 घंटे वैयक्तिक सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त निवास स्थान पर 24 घंटे सुरक्षा कवच के हकदार होंगे।”

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के लिए दिल्ली में टाइप-VII (पदाभिहित शासकीय वास-सुविधा से भिन्न) किराया मुक्त वास-सुविधा के हकदार होंगे।”

5. उक्त नियमों के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“5क. नयाचार.— सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विमानपत्तनों के समारोह विश्राम कक्षों में विस्तारित शिष्टाचार के नयाचार के हकदार होंगे।

[फा.सं. एल-11017/1/2020-न्या.-I]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. सं. 935, तारीख 4 अगस्त, 1959 पृष्ठ 1161(गृह मंत्रालय, सं. 15.6.58-न्या.-I) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया:-

1. सा.का.नि. 1366, तारीख 18 दिसंबर, 1974
2. सा.का.नि. 634, तारीख 22 अप्रैल, 1976
3. सा.का.नि. 854, तारीख 1 अगस्त, 1980
4. सा.का.नि. 1176(अ), तारीख 4 नवंबर, 1986
5. सा.का.नि. 680, तारीख 12 नवंबर, 1991
6. सा.का.नि. 381, तारीख 20 अप्रैल, 1993
7. सा.का.नि. 444, तारीख 10 मई, 1995
8. सा.का.नि. 717, तारीख 3 नवंबर, 1995
9. सा.का.नि. 718, तारीख 3 नवंबर, 1995
10. सा.का.नि. 149(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999
11. सा.का.नि. 393(अ), तारीख 25 मई, 2001
12. सा.का.नि. 757(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2001
13. सा.का.नि. 110(अ), तारीख 5 फरवरी, 2003
14. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 15 मार्च, 2004
15. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 11 मार्च, 2006
16. सा.का.नि. 602(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006
17. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 18 मार्च, 2021
18. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 4 अगस्त, 2021

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3 B, in sub-rule (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided further that the following staff shall be deployed with a retired Chief Justice and a retired Judge of Supreme Court for a period of one year from the date of retirement from the establishment of Supreme Court or a High Court with full pay and allowances admissible to regular employees of Supreme Court-
 a) chauffeur (equivalent to the level of Chauffer in the Supreme Court).
 b) secretarial assistant (equivalent to the level of the Branch Officer in the Supreme Court).”
3. After rule 3 B of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-
 “3 C. Security Cover.- A retired Chief Justice or retired Judges shall be entitled to a security cover round the clock at residence in addition to round the clock personal security guard for a period of one year from the date of retirement.”
4. In rule 4 of the said rules, before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-
 “Provided that a retired Chief Justice shall be entitled to a rent free Type-VII accommodation at Delhi (other than the designated official residence) for a period of six month from the date of retirement.”
5. After rule 5 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-
 “5 A.Protocol.- A retired Chief Justice or a retired Judge shall be entitled to protocol to extend courtesies at ceremonial lounges at airports.

[F. No. L-11017/1/2020-Jus.I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959 page 1161 [Ministry of Home Affairs No. 15.6.58-Judl-I] and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 1366, dated the 18th December, 1974
2. G.S.R. 634 dated the 22nd April, 1976
3. G.S.R. 854 dated the 1st August, 1980
4. G.S.R. 1176(E) dated the 4th November, 1986
5. G.S.R. 680(E) dated the 12th November, 1991
6. G.S.R. 381(E) dated the 20th April, 1993
7. G.S.R. 444(E) dated the 10th May, 1995
8. G.S.R. 717(E) dated the 3rd November, 1995

9. G.S.R. 718(E) dated the 3rd November, 1995
10. G.S.R. 149(E) dated the 24th February, 1999
11. G.S.R. 393(E) dated the 25th May, 2001
12. G.S.R. 757(E) dated the 4th October, 2001
13. G.S.R. 110(E) dated the 5th February, 2003
14. G.S.R. 202(E) dated the 15th March, 2004
15. G.S.R. 162(E) dated the 11th March, 2006
16. G.S.R. 602(E) dated the 29th September, 2006
17. G.S.R. 200(E) dated the 18th March, 2021
18. G.S.R. 531(E) dated the 4th August, 2021

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2ड के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "2च. नयाचार.— उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति, विमानपत्तनों के समारोह विश्राम कक्षों में विस्तारित शिष्टाचार के नयाचार के हकदार होंगे।"

[फा.स. एल-11017/1/2020-न्या.-I]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः मूल नियम का.नि.आ. सं. 224, तारीख 24 अगस्त, 1956 पृष्ठ 106 (गृह मंत्रालय, सं. 11/39/54-न्या.-I) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया:-

1. का.नि.आ. 707, तारीख 28.2.1957
2. सा.का.नि.. 497, तारीख 13.3.1970
3. सा.का.नि. 3365(अ), तारीख 11.7.1972
4. सा.का.नि. 562, तारीख 21.4.1979
5. सा.का.नि. 1015, तारीख 11.7.1979
6. सा.का.नि. 1175(अ), तारीख 4.11.1986
7. सा.का.नि.. 299(अ), तारीख 18.3.1987
8. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 4.12.1991
9. सा.का.नि. 588(अ), तारीख 30.6.1994
10. सा.का.नि. 720(अ), तारीख 3.11.1995

11. सा.का.नि. 394(अ), तारीख 1.7.2004

12. सा.का.नि. 565(अ), तारीख 7.8.2019

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. After rule 2 E of the High Court Judge Rules, 1956, the following rule shall be inserted, namely:-
“2F. Protocol. - A retired Chief Justice of a High Court shall be entitled to protocol to extend courtesies at ceremonial lounges at airports.”.

[F. No. L-11017/1/2020-Jus.I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 on page 106 (Home Ministry, No. 11/39/54-Judl) vide Notification number S.R.O. 224 dated the 24th January, 1956 and subsequently amended by:-

1. S.R.O. 707, dated 28.2.1957
2. G.S.R. 497, dated 13.3.1970
3. G.S.R. 3365(E), dated 11.7.1972
4. G.S.R. 562, dated 21.4.1979
5. G.S.R. 1015, dated 11.7.1979
6. G.S.R. 1175(E), dated 4.11.1986
7. G.S.R. 299 (E), dated 18.3.1987
8. G.S.R. 717(E), dated 4.12.1991
9. G.S.R. 588(E), dated 30.6.1994
10. G.S.R. 720(E), dated 3.11.1995
11. G.S.R. 394(E), dated 1.7.2004
12. G.S.R. 565(E), dated 7.8.2019.